

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी- श्री ओपी० बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 27/2015

प्रार्थी

भूराराम गोदारा
खाध सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर

बनाम्

अप्रार्थी

पूनमजी पुत्र भैरारामजी जाति
पालीवाल निवासी रामसीन मूंगड़ा
तहसील पचपदरा

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II) खाध सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम, 2006 व नियम 2011


उपस्थित:-1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर उपस्थित
2. सीमा मण्डोत अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 30.05.2016

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 21.5.2015 को प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी द्वारा दौराने गश्त जरिये सरकारी वाहन मैसर्स महादेव दूध सप्लायर नेहरू कॉलोनी के पास बालोतरा दोपहर 01.00 पहुँचने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम पूनमजी पुत्र भैरारामजी जाति पालीवाल निवासी रामसीन मूंगड़ा, पचपदरा बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में मैसर्स महादेव दूध सप्लायर नेहरू कॉलोनी के पास बालोतरा का निरीक्षण करने पर दुकान में रखे फ्रीज के एक खण्ड में दूध (मिक्स) करीबन 50 लीटर आम जनता को विक्रय करने के लिये पाया गया। दूध में मिलावट का सन्देह होने पर उक्त दूध में से दो लीटर दूध नपवा कर चार कांच की साफ सुखी व खाली शिशियों में बराबर मात्रा में भरा गया, जिसका भुगतान मालिक विक्रेता को 40/- रुपये अदा किया गया। उक्त प्रत्येक शीशी में 40-40 बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजररेटिव के रूप में डालकर उसके उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा उसके उपर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एवं स्लीप कोड एवं सिरियल नम्बर पी 533 चिपकाकर चिपड़ी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों के एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहो के रूबरू की गई तथा चारो नमूनों को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय




न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

आकर नमूना पी-533 जाँच हेतु खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियों पर नमूना सील जिसका प्रयोग सैंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनों को सीलबन्द करने में किया गया एवं आउटर कवर कर, नमूना विवरण अंकित किया गया एवं एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनों का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि खाद्य पेय पदार्थ दूध (मिक्स) नमूना पी-533 की जाँच रिपोर्ट एलएस/एलएस/435/एक्ट/2015/445 दिनांक 23.06.2015 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को भेजी जिस पर जाँच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर नमूना जाँच में दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पेय पदार्थ दूध (मिक्स) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद निस्तारण हेतु पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एवं संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 एनमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी 533 जाँच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

- परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थी की ओर से सीमा मण्डोत अधिवक्ता उपस्थित हुई। जिन्होंने प्रकरण को लोक अदालत की भावना से न्यूनतम जुर्माना आरोपित करने का निवेदन किया।
- हमने दोनो पक्षों को सुना। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 21.5.2015 को गश्त करते हुए मैसर्स महादेव दूध सप्लायर नेहरू कॉलोनी के पास बालोतरा पहुँचने पर दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान के फ्रीज में करीबन 50 लीटर दूध (मिक्स) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था। उक्त दूध में मिलावट होने का सन्देह होने पर उक्त दूध का नियमानुसार नमूना लिया गया। जांच के दौरान दूध (मिक्स) पी.533 नमूना जांच में दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) होना



न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4. अप्रार्थी विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अप्रार्थी द्वारा दूध में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। दिनांक 21.5.2015 को जिस दूध का सेम्पल भता गया था, वह सुआवड़ गाय का था। अप्रार्थी अन्य व्यक्तियों से दूध लेकर आगे बेचता है। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है इसलिये प्रस्तुत परिवाद निरस्त फरमाया जावे।
5. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/435 एक्ट/2015/445 दिनांक 23.06.2015 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा विक्रय किया जा रहा दूध का नमूना, जांच रिपोर्ट में निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री पूनमजी द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) के तहत पाये गये दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) का दूध रखने एवं बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 में अप्रार्थी पूनमजी पर 5000/- (अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 30.05.2016 से एक माह के अंदर— अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।



(ओपीओ बिश्नोई)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 30.05.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर